

## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़(छ0ग0)

—:: आदेश ::—

क्रमांक 10918 / न्या.लि./2020

रायगढ़, दिनांक 19-07-2020

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) को संक्रमण बीमारी घोषित किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत समेत पूरे विश्व में खतरा उत्पन्न हो गया है। राज्य में भी बहुत तेजी से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले के बढ़ने के दृष्टिगत छ0ग0शासन द्वारा स्वास्थ्य के दृष्टिगत COVID-19 के पीड़ित/संदेही से संपर्क/दूर रहने एवं इससे बचने के सभी प्रकार के संभावित उपायों को अमल में लाने एवं COVID-19 के संभाव्य प्रसार के नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक 357/स.सा.प्र.वि/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18-07-2020 के दिये गये निर्देशानुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7217/न्या.लि./2020 दिनांक 31/05/2020 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं, शेष शर्तें एवं निर्देश पूर्ववत् रहेंगे।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 30 मई 2020 एवं छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 288/स.सा.प्र.वि./2020, रायपुर दिनांक 31-05-2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 357/स0सा0प्र0वि0/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18-07-2020 में दिये गये निर्देश/गाईड लाईन/एडवायजरी के अनुक्रम में रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक सप्ताह में दिन-बुधवार (29/07/2020 से) को छोड़कर एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कंटेन्मेंट/बफर जोन को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये (मास्क पहनने के निर्देश) की जा सकेगी।

1- परन्तु आगामी आदेश पर्यन्त निम्न गतिविधियों जिले में प्रतिबंधित/अनुमति रहेगी :-

- (1) रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन यान यथा यात्री/सिटी बस की सेवाएं पूर्णतः चालू रहेगी।
- (2) व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा तथा इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा।
- (3) व्यक्तियों के अन्तरजिला परिवहन के बारे में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा।
- (4) सब्जी का विक्रय सशर्त (समय प्रातः 06:00 से प्रातः 10:00 बजे तक प्रतिदिन) की ही अनुमति होगी, किन्तु झुण्ड में नहीं रहेंगे।
- (5) मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त- प्रातः 06:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक चालू रहेगी।
- (6) घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक की ही अनुमति होगी।
- (7) सभी बार, रिसार्ट, डिस्कोथीक बंद रहेंगी।
- (8) व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन, छुट-चिकित्सकीय कारण से/गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियाँ।
- (9) सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन /डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।
- (10) समस्त स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स एवं स्टेडियम एवं खेल परिसर में समुह में बैठकर या खड़े होकर चर्चा करना प्रतिबंधित रहेगा।
- (11) सार्वजनिक पार्क में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।
- (12) क्लब एवं बार का संचालन बंद रहेगा।

- (13) सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, थियेटर, तथा ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
- (14) सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेलकूद / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक गतिविधियाँ एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
- (15) यथासंभव माल वाहनों से माल की लोडिंग/अनलोडिंग भीड़-भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न किया जाय। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़-भाड़ न हो।
- (16) शहरी/नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ से सत्यापन/अनुमति उपरांत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए प्रारंभ की जा सकती है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना उद्योग प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी।

उक्त निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम क्षेत्र रायगढ़ में आयुक्त नगर निगम एवं संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

## 2- व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय :-

- (1) दफ्तरों और कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में *Arogya setu app* डाउनलोड करवायें।
- (2) 04 से अधिक व्यक्ति ज्ञापन सौंपने हेतु न आयें।
- (3) जगह-जगह झुण्ड बनाकर एकत्रित न हों, सामुहिक रूप से चौक चौराहों पर इकट्ठा होकर बातचीत करना प्रतिबंधित रहेगा।
- (4) होटल/रेस्टोरेंट में सामुहिक रूप से भोज का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
- (5) पेट्रोल पंप एवं रसोई गैस सेवायें संचालित रहेंगी।
- (6) मण्डी पूर्व समयानुसार संचालित रहेंगी।
- (7) दवाई दुकानें प्रातः 10:00 से रात्रि 08:00 बजे तक संचालित रहेंगी।

## 3- सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्तें :-

- (1) सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- (2) दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा न होने दिया जाये।
- (3) सोशल डिस्टेंसिंग/ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यतः किया जाये।
- (4) दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये।
- (5) दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें।
- (6) दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थुकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
- (7) दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
- (8) दुकान परिसर में 01-01 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये।
- (9) Work from home (WFH) को बढ़ावा दिया जावे।
- (10) संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं की बार-बार सफाई सुनिश्चित की जावे।




- (11) विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 (पचास) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।
- (12) अंतिम संस्कार/अन्त्येष्टि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 (बीस) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।
- (13) समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।
- (14) समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान के संचालक/प्रबंधक, अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों के आने की अनुमति जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ से लेगा एवं जिले में आने के उपरांत इसकी सूचना उद्योग विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को देगा साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों को शासन के दिशा-निर्देश का पालन करते हुये क्वारंटाईन में रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- (15) होम क्वारंटाईन का उल्लंघन पाये जाने पर एफ.आई.आर दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।

#### दाण्डिक प्रावधान :-

उपरोक्त प्रतिबंध आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, महामारी एक्ट तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। जिले में कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी।

रायगढ़ शहर एवं सारंगढ शहरी क्षेत्र को छोड़कर जिले में पूर्व में लगे प्रावधान लागू होंगे। उपरोक्त निर्देश 22/7/20 से लागू होंगे।


  
(भीम सिंह)  
कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,  
रायगढ़ (छ.ग.)  
रायगढ़, दिनांक 19.07.2020

पृ. क्रमांक 10918-A/न्या.लि./2020  
प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
- 2- सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
- 3- सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
- 4- सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन,
- 5- आयुक्त, बिलासपुर सभाग, बिलासपुर
- 6- पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर  
—की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 7- पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।

- 9- मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 10- आयुक्त, नगर पालिका निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11- सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 12- उप संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 13- सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 14- सर्व मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 15- सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 16- सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 17- सर्व थाना प्रभारी, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 18- समस्त प्रबंधक/संचालक औद्योगिक संस्थान/कारखाना जिला रायगढ़(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

  
कलेक्टर  
एवं जिला दण्डाधिकारी,  
रायगढ़ (छ.ग.)